न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्री डूँगरगढ

मुकदमा नम्बर 97 / 2014

निर्णय दिनांक 23.1..2020

तोलसिंह पुत्र बींझराजसिंह पुरोहित निवासी भोजास तहसील श्री डूँगरगढ जिला बीकानेर

-------वादीगण

वनाम

1 स्व. मालसिंह 1/1 अणचीदेवी पत्नी मालसिंह 1/2 चेक्न सिंह पुत्र मालसिंह 2 मोहनसिंह 3 राधाकिशन पुत्रगण बींझराजसिंह पुरोहित निवासीगण भोजास 2 स्टेट जरिये तहसीलदार, श्री डूँगरगढ

---प्रतिवादीगण

5 शाखा प्रबन्धक बैंक बॉफ इण्डिया शाखा श्री डूँगरगढ 6 शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफॅ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा श्री डूँगरगढ ढ

---गौण प्रतिवादीगण

उपस्थिति–

1. श्री के.के. पुरोहित अधिवक्ता वादी की तरफ से।
2. प्रतिवादी संख्या 1/1, 1/2 2, 3, 5, 6 के विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही ।
3. पैरोकार राज स्टेट की तरफ से ।

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह वाद इस न्यायालय में तोलसिंह ने जरिये अधिवक्ता इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 23 क्षेत्रफल 11.13 हैक्टयर, खसरा नम्वर 26 क्षेत्रफल 12.11 हैक्टयर, खसरा नम्बर 40 क्षेत्रफल 5.92 हैक्टयर, खसरा नम्बर 86 क्षेत्रफल 3.35 हैक्टयर कुल खसरा नम्बर 4 कुल क्षेत्रफल 32.51 हैक्टयर रोही ग्राम भोजास तहसील, श्री डूँगरगढ स्थित है । जिसमें वादी व पतिवादी संख्या 1 ता 3 का 1/4,1/4 हिस्सा है । वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 ने अपने अपने हिस्सों अनुसार वादगत भूमि का मौखिक बंटवार कर लिया है तथा बंटवारा अनुसार प्रार्थी के हिस्से पांती का खसरा नम्बर 23 तादादी 11.13 हैक्टयर प्रार्थी के हिस्से पांती में आई है जिस पर वादी का कब्जा काश्त है ।वादी ने अपने हिस्से की कृषि भूमि निर्बाध रूप से कब्जा काश्त है तथा काफी रूपये लगाकर अपने हिस्से की कृषि ाूमि को सुधार कर व खाद बीज डालकर उपजाऊ बनाई है । वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को वादगत खेतों का पारिवारिक बंटवारा व कब्जा काश्त अनुसार खाता विभाजन हेतु कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 टलमटोल करते रहे तथसा दिनांक 5.8.2014 को खाता विभाजन हेतु स्पष्ट इंकार कर दिया तथा साफ धमाकी दी कि हम वादगत खेतों में से अलग अलग व्यक्तियों को अपने हिस्से की कृषि भूमि विक्रय कर देंगे तथा तुम्हें तुम्हारे कब्जे से बेदखल कर देंगे । यही दावे का वाद हेतू है । अतः वाद पेश कर निवेदन किया है कि–

1 वादगत खेत खसरा नम्बर 23 क्षेत्रफल 11.13 हैक्टयर, खसरा नम्बर 26 क्षेत्रफल 12.11 हैक्टयर, खसरा नम्बर 40 क्षेत्रफल 5.92 हैक्टयर, खसरा नम्बर 86 क्षेत्रफल 3.35 हैक्टयर कुल खसरा नम्बर 4 कुल क्षेत्रफल 32.51 हैक्टयर रोही ग्राम भोजास तहसील, श्री डूँगरगढ में स्थित वादी के हिस्से की कृषि भूमि को कब्जा काश्त अनुसार विभाजित किया जावे राजस्व रिकार्ड व राजस्व अक्स में संधारण किया जावे तथा उसकी पालना प्रतिवादी संख्या 4 से करवाई जावें ।

2. यहकि प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को जरिये चिरनिषेधाज्ञा से वर्जित फरमाया जावे कि वादगत खेत का खाता विभाजन से पूर्व कब्जा काश्त अनुसार वादी के उपयोग उपभोग मेंसे वादी को बेदखल न करं न किसी से करावे तथावादगत खेतों में से विधिवत रूप से विभाजन होने से पूर्व विक्रय बेय हस्तान्तरण न करे न ही ऐसा कोई कृत्य अथवा अपकृत्य करे न अन्य से करावे जिससे वादी के हितों पर विपरीत असर पडता हों ।

वादीगण के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1/1, 1/2, 2, 3, 5, व 6 को जरिये रजिस्टर्ड एडी तलब करने के उपरान्त भी अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई । बहस इकतरफा सुनी गई ।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों को अवलोकन किया गया वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत 2069–2072 के खाता संख्या नया 181 पुराना 165 अनुसार खेत खसरा नम्बर 23 क्षेत्रफल 11.13 हैक्टयर, खसरा नम्बर 26 क्षेत्रफल 12.11 हैक्टयर, खसरा नम्बर 40 क्षेत्रफल 5.92 हैक्टयर, खसरा नम्बर 86 क्षेत्रफल 3.35 हैक्टयर कुल खसरा नम्बर 4 कुल क्षेत्रफल 32.51 हैक्टयर रोही ग्राम भोजास तहसीलदार, श्री डूँगरगढ का रिकार्डेड खातेदार है । रिकार्डेड खातेदार होने के कारण एवं अभी तक वादी प्रतिवादी का खाता विधिवत विभाजन नहीं होने के कारण वाद स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है ।

निर्णय

खेत खसरा नम्बर 23 क्षेत्रफल 11.13 हैक्टयर, खसरा नम्बर 26 क्षेत्रफल 12.11 हैक्टयर, खसरा नम्बर 40 क्षेत्रफल 5.92 हैक्टयर, खसरा नम्बर 86 क्षेत्रफल 3.35 हैक्टयर कुल खसरा नम्बर 4 कुल क्षेत्रफल 32.51 हैक्टयर रोही ग्राम भोजास तहसीलदार, श्री डूँगरगढ में वादी का हिस्सा बाई मिटस एण्ड बाउण्डस पृथक किया जाता है । शेष प्रतिवादीगणों का हिस्सा यथावत रहेगा । तहसीलदार, श्री डूँगरगढ मौके पर पहुंच कर विभाजन के नियम 18 से 21 को ध्यान में रखते हुए, कब्जा काश्त के अनुसार वादी प्रतिवादी के खेतों में आने जाने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विभाजन प्रस्ताव पेश करें । प्राथमिक डिकी जारी हों ।

निर्णय आज दिनांक 23.1.2020 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया । पत्रावली बाद निर्णय बाद दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हों ।

निर्णय सुनाया गया ।

(राकेश कुमार न्योल)
उपखण्ड अधिकारी,
श्री डूँगरगढ

उपखण्ड अधिकारी
डूँगरगढ़ (बीकानेर)

प्राथमिक डिक्री मुकदमें इन्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री डूँगरगढ
पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार न्योल आरएएस..
तोलसिंह पुत्र बींझराजसिंह पुरोहित निवासी भोजास तहसील श्री डूँगरगढ जिला बीकानेर बनाम स्व मालसिंह वगैरहा
वाद बाबत घोषणात्मक चिरनिषेधाज्ञा
मुकदमा नम्बर 97/2014

निर्णय दिनांक 23.1.2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूबरू अदालत बहाजरी वादी की ओर से श्री मोहननाथ सिद्ध अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुदई व प्रतिवादी की तरफ से पैरोकार राज मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता खेत खसरा नम्बर 23 क्षेत्रफल 11.13 हैक्टयर, खसरा नम्बर 26 क्षेत्रफल 12.11 हैक्टयर, खसरा नम्बर 40 क्षेत्रफल 5.92 हैक्टयर, खसरा नम्बर 86 क्षेत्रफल 3.35 हैक्टयर कुल खसरा नम्बर 4 कुल क्षेत्रफल 32.51 हैक्टयर रोही ग्राम भोजास तहसीलदार, श्री डूँगरगढ में वादी का हिस्सा बाई मिटस एण्ड बाउण्डस पृथक किया जाता है । शेष प्रतिवादीगणों का हिस्सा यथावत रहेगा । तहसीलदार, श्री डूँगरगढ मौके पर पहुंच कर विभाजन के नियम 18 से 21 को ध्यान में रखते हुए, कब्जा काश्त के अनुसार वादी प्रतिवादी के खेतों में आने जाने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विभाजन प्रस्ताव पेश करें ।

लीज....0......मुबलिग......0........बाबत......0.........खर्चा इस मुकदमें के नय सूद व शरह ... 0..फीसदी सालाना आज को जारी..........तारीख वसूलयाबी.......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक 23 माह जनवरी सन् 2020 को जारी किया गया ।

(राकेश कुमार न्योल)
उपखण्ड अधिकारी,
श्री डूँगरगढ

उपखण्ड अधिकारी
डूँगरगढ़ (बीकानेर)

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	व	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3..प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	0	3. प्लीडर की फीस	0
4.........रूपये पर प्लीडर की फीस	0	4. साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता	0
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–भत्ता	0		
6.कमिश्नर की फीस	0	5. आदेशिका की तामिल	0
7.आदेशिका की तामिल	0	6. कमिश्नर की फीस	0
योग	0	योग	0

उपखण्ड अधिकारी,
श्री डूँगरगढ

उपखण्ड अधिकारी
डूँगरगढ़ (बीकानेर)